

(नियम 4क देखिए)



05 नगीना

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा

(सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

भाग-क

में कामेश कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी वीर सिंह आयु 38 वर्ष, जो (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इण्डिया (मो) के लिए (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ "एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम 19 बदापुर 3090 (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 156 के कम सं० 591 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 8433179120 सम्पर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और KamleshKumar311@gmail.com मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।


- (i) लागू नहीं  
(ii) लागू नहीं  
(iii) लागू नहीं

(4) स्थाई लेखा संख्या(पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थिति:-

क्र० सं०	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं कामेश कुमार	CISPK9348P	लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं

*(Handwritten signature)*

			लागू (iv) नहीं
			लागू (v) नहीं
2	पति / पत्नी क्षीमति आम्ना सहवाल	670MPS5434 A	लागू नहीं
			लागू (ii) नहीं
			लागू (iii) नहीं
			लागू (iv) नहीं
			लागू (v) नहीं
3	हिन्दू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू नहीं	लागू नहीं
			लागू (ii) नहीं
			लागू (iii) नहीं
			लागू (iv) नहीं
			लागू (v) नहीं
4	आश्रित-1 लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			लागू (ii) नहीं
			लागू (iii) नहीं
			लागू (iv) नहीं
			लागू (v) नहीं
5	आश्रित-2 लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			लागू (ii) नहीं
			लागू (iii) नहीं
			लागू (iv) नहीं
			लागू (v) नहीं
6	आश्रित-3 लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			लागू (ii) नहीं
			लागू (iii) नहीं
			लागू (iv) नहीं
			लागू (v) नहीं



स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और स्थायी खाता संख्या(पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है" ।

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।  
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं: **लागू नहीं**  
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें)

*D. S. S.*

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं०.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें अर्थात भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है। (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(6) दोषसिद्धि के मामले:- N.A.

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।  
(यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है, लिखें)

या

- (ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है: लागू नहीं  
(यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला सख्यांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/ संहिताओं की धाराएं  (धारा की सं. दें, अर्थात भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा .....)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं


(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

(ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए)

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

(7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-



**जंगम आस्तियों के ब्यौरे:**

**टिप्पण 1-** संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

**टिप्पण-2-** जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

**टिप्पण 3-** सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

**टिप्पण 4-** "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।",

**टिप्पण 5-** प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रूप में दिए जाने हैं।

**टिप्पण 6-** ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

**स्पष्टीकरण:** इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियां" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं :

क्र०सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
(i)	हाथ में नकदी	200000	150000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	खाता सं० 716010 310000 295 बैंक ऑफ़ इंडिया 781210 309463 47274 भारतीय स्टेट बैंक नागौर 5000/-			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में (विनिधान) के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान / याच/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और रकम)	हीर/ही/05/ डीलर्स 20/16 U.P.20 HZ 8716	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लागू नहीं	सोना एक तोल्ला चांदी 100 ग्राम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	सकल कुल मूल्य	47000	35000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या आपार्टमेंट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए

टिप्पण 3- ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।



